भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3215
19 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

पीडीएस में मोटे अनाज को शामिल करना

3215. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में मोटे अनाज (श्री अन्न) को भी शामिल करने की कोई योजना है; और
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 1 जनवरी 2023 से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। 'खाद्यान्न' शब्द को चावल, गेहूं और मोटे अनाज या इनके किसी भी संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा आदेश द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप हो। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें पीएमजीकेएवाई के तहत दिए जाने वाले लाभों से अधिक लाभ प्रदान करने वाली खाद्य या पोषण आधारित योजनाएँ या स्कीम बना सकती हैं।

पीडीएस के तहत गेहूं/चावल की समान मात्रा (राज्य के अनुरोध के अनुसार) के बदले मोटे अनाज/मिलेट्स (श्री अन्न) भी आबंटित किए जाते हैं, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि चावल, गेहूं और मोटे अनाज की कुल मात्रा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में तय की गई ऊपरी सीमा के भीतर होनी चाहिए।

...2/-

इसके अलावा, मोटे अनाजों की खरीद, आबंटन, वितरण और निपटान के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों को एफसीआई के परामर्श से भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के अधीन, केंद्रीय पूल के लिए एमएसपी पर किसानों से ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और रागी और छह छोटे मिलेट्स (श्री अन्न) खरीदने की अनुमति है। पूरी मात्रा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना (टीपीडीएस)/ओडब्ल्यूएस (अन्य कल्याणकारी योजनाओं) के तहत वितरित की जाती है।

मिलेट्स (श्री अन्न) की खरीद बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा की गई पहल:

(i) दिशा-निर्देशों में संशोधन: मिलेट्स (श्री अन्न) की वितरण अवधि/शेल्फ लाइफ को पहले के 3 माह से बढ़ाकर 6-10 माह कर दिया गया, जिससे खरीद का उच्च स्तर बढ़ गया है।

(ii) एफसीआई के माध्यम से अधिशेष मिलेट्स (श्री अन्न) के अंतर-राज्यीय परिवहन का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

(iii) मिलेट्स (श्री अन्न) की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए अधिग्रहण चरण पर प्रशासनिक शुल्क को एमएसपी के 1% से बढ़ाकर 2% किया गया है।

(iv) टीपीडीएस/ओडब्ल्यूएस में लघु मिलेट्स (श्री अन्न) को शामिल करना: सरकार ने हाल ही में लघु मिलेट्स को शामिल करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मिलेट्स की खरीद के दायरे का विस्तार किया है। फॉक्सटेल मिलेट्स (कंगनी/काकुन), प्रोसो मिलेट्स (चीना), कोदो मिलेट्स (कोदो), लिटिल मिलेट्स (कुटकी), काला-गेहूं (कुट्टू) और अमेरंथस (चौलाई) को अगले तीन वर्षों (2023 से) के लिए रागी के बराबर एमएसपी पर एमएसपी स्कीम के तहत शामिल किया गया है।

*****